

भारत गणराज्य की सरकार तथा  
रवाण्डा गणराज्य की सरकार के बीच  
सांस्कृतिक करार

= =

भारत गणराज्य की सरकार तथा रवाण्डा गणराज्य  
की सरकार ने,

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन  
के संविधान के उच्च आदर्शों की भावना के अनुकूल घनिष्ठतर  
सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित एवं विकसित करने की सामान्य इच्छा  
से प्रेरित होकर,

भारत तथा रवाण्डा के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी,  
खेलकूद, लोक-स्वास्थ्य, सूचना तथा शिक्षा के जन-साधनों के क्षेत्र  
में शैक्षिक कार्यक्रमों सहित कला, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्रों में  
हर सम्भव तरीके से सम्बन्धों तथा सद्भावना की संप्रवर्धित  
तथा विकसित करने की इच्छा से निम्नलिखित करार करने का  
निश्चय किया है :-

अनुच्छेद - 1

=====

संविदाकारी पक्षकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी,  
लोक-स्वास्थ्य, सूचना तथा शिक्षा के जन-साधनों, खेलकूद और  
पत्रकारिता के क्षेत्र में शैक्षिक कार्यक्रमों सहित कला और संस्कृति,  
शिक्षा के क्षेत्रों में सहकारिता की सुकर बनाएंगे और प्रोत्साहित  
करेंगे, ताकि इन क्षेत्रों में वे अपनी-अपनी संस्कृति और  
कार्यकलापों की बेहतर जानकारी के लिए योगदान  
कर सकें ।

अनुच्छेद - 2  
=====

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे :—

- (क) लेखार देने, अध्ययन दौरों तथा विशेष पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रोफेसरों और विशेषज्ञों को एक दूसरे के यहां भेजना ;
- (ख) शैक्षिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, कलात्मक, खेलकूद और पत्रकारिता संघों तथा संगठनों के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के यहां भेजना और महासभाओं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा सेमिनारों में भाग लेना ; और
- (ग) संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्रों में सामग्री का आदान-प्रदान, पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और खेलकूद प्रकाशनों, दस्तावेजों तथा फिल्मों का अनुवाद और आदान-प्रदान, और यथा-सम्भव पुरातत्त्विक नमूनों का आदान-प्रदान करना ।

अनुच्छेद - 3  
=====

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, दूसरे पक्षकार के लिए उसके अनुरोध पर अध्यापकों और अन्य अध्यापन कार्मिकों को, जिनकी उसके देश की आवश्यकता ही, व्यवस्था करने का

यथा-सम्भव प्रयास करेगा ।

इन कार्मिकों के लिए भर्ती, प्रशासन और पारिश्रमिक की पद्धतियाँ, सँविदाकारी पक्षकारों की सरकारों के बीच पूर्व विशेष व्यवस्था के आधार पर तय की जाएंगी ।

अनुच्छेद - 4

=====

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार, दूसरे देश के छात्रों और वैज्ञानिक कार्मिकों को, जो उसकी उच्च अध्ययन की संस्थाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अध्ययन करना चाहें, सुविधाएँ और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद - 5

=====

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार उन शर्तों की जाँच करने का आश्वासन देता है, जिनके अन्तर्गत दोनों देशों में प्रदान किए गए डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों तथा विश्वविद्यालय डिग्रियों की समकक्षता की पारस्परिक रूप से मान्यता दी जा सके ।

अनुच्छेद - 6

=====

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार रेडियो, टेलीविज़न तथा प्रेस के माध्यम से अन्य पक्षकार के जीवन तथा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षकार उपयुक्त सामग्री तथा कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद - 7

=====

सँविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित बातों की स्मरण

बनाएंगे तथा संप्रवर्तित करेंगे :—

- (क) कलाकारों और नृत्य तथा संगीत मंडलियों का आदान-प्रदान ;
- (ख) कला तथा अन्य प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान;
- (ग) फिल्मों, वृत्त - चित्रों, रेडियो और टेलीविज़न कार्यक्रम रिकार्डिंग और डिस्क तथा टेप-रिकार्डिंग का आदान-प्रदान ; और
- (घ) चलचित्र-कला के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान तथा एक दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना ।

अनुच्छेद - 8

=====

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के बीच खेल टीमों के दौड़ों को प्रोत्साहित करेंगे तथा लागू राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अधीन अपने-अपने क्षेत्रों में उनके ठहरने और गतिविधियों को सुकर बनाएंगे ।

अनुच्छेद - 9

=====

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ अन्य पक्षकार के देश से संबंधित उस सामग्री का विनिमय करेगा जो उसकी शैक्षिक संस्थाओं में निर्धारित इतिहास और भूगोल की पाठ्यपुस्तकों में शामिल है । जब कभी संविदाकारी पक्षकार को अन्य देश के सम्बन्ध में कोई गलत सूचना का पता लगे और वह प्रकाशन सरकार अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय से सम्बन्धित हो, तो उसे उक्त पक्षकार द्वारा परिशीलित किया जाएगा ।



अनुच्छेद - 10  
=====

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार अपने-अपने क्षेत्र में, अन्य पक्षकार या संयुक्त रूप से पक्षकारों द्वारा अपने-अपने कानूनों, विनियमों तथा सामान्य नीति के अनुसार शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में रत सांस्कृतिक संस्थानों अथवा मैत्रे संस्थानों की स्थापना का स्वागत करेगा ।

दोनों पक्षकारों द्वारा यह मान लिया जाता है कि इस करार के अनुसरण में कोई संस्था स्थापित करने से पहले सम्बन्धित सरकार की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी ।

अनुच्छेद - 11  
=====

विद्यमान करार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये, यथा-समय एक संयुक्त समिति की स्थापना की जायेगी, जिसमें दोनों सरकारों के समान संख्या में प्रतिनिधि शामिल होंगे और जिसकी बैठकें, आवश्यकतानुसार तथा सँविदाकारी पक्षकार में से किसी एक के अनुरोध पर, बारी बारी से नई दिल्ली और किंगाली में होंगी ।

संयुक्त समिति निम्नलिखित बातों के लिये जिम्मेदार होगी :—

- (क) दोनों देशों में करार के कार्यकरण का आवधिक पुनर्विलोकन करना ;
- (ख) करार के कार्यान्वयन की विस्तृत रीति के बारे में संबन्धित सरकार की सलाह देना ;

- (ग) शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तैयार करना और उनकी प्रगति का पुनर्विलोकन करना ;
- (घ) करार की परिधि के अन्तर्गत क्षेत्रों में किसी भी ऐसे मद के सम्बन्ध में, जिसमें कोई भी पक्षकार हितवद्ध हो, संबंधित पक्षकार को सिफरिश करना ; और
- (ङ) सम्बन्धित सरकार की साधारणतया उस रीति के बारे में सलाह देना जिससे करार के कार्यकाण को सुधारा जा सके ।

अनुच्छेद - 12  
=====


विद्यमान करार, इसके अनुसमर्थन-लिखितों के विनिमय की तारीख से लागू होगा । यह पाँच वर्ष की अवधि के लिये लागू रहेगा और उसके बाद इसका स्वतः ही नवीकरण ही जायेगा जब तक कि कोई भी संविदाकारी पक्षकार इसकी अवसित करने के सम्बन्ध में छः महीने का लिखित रूप में पूर्व नोटिस न दे ।

= 7 =

Kigali मे 13, Asadha 1897 (शक)

तदनुसार July, 4 1975 को बः मूल प्रतियों में, हिन्दी, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में किया गया। सभी पाठ समानतः प्रमाणित होंगे किन्तु संदेह की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार  
की ओर से



(सचो कैओ मिह ) ,

कम्पाला में भारत के उच्चायुक्त

रवाण्डा गणराज्य की सरकार  
की ओर से



( मेजर नसे कालिश स्लायस )

विदेश कार्य तथा सहकारिता मंत्री

CULTURAL AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA

.....

The Government of the Republic of India and the  
Government of the Republic of Rwanda,

INSPIRED BY a common desire to establish and develop  
closer cultural relations in the spirit of the high ideals  
of the Constitution of the United Nations Educational,  
Scientific and Cultural Organisation,

AND DESIROUS OF promoting and developing in every  
possible manner the relations and understanding between  
India and Rwanda in the realms of art, culture, education  
including academic activity in the field of science and  
technology, sports, public health and mass media of  
information and education,

HAVE AGREED to conclude the following Agreement:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall facilitate and encourage  
co-operation in the fields of art and culture, education  
including academic activity in the field of science and  
technology, public health, mass media of information and  
education, sports and games and journalism in order to  
contribute towards a better knowledge of their respective  
cultures and activities in these fields.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall encourage:

- a) reciprocal visits of professors and experts for  
delivering lectures, study tours and conducting  
special courses:



- b) reciprocal visits of representatives of educational, literary, scientific, technical, artistic, sports and journalists' associations and organisations and participation in congresses, conferences, symposia and seminars; and
- c) exchange of materials in the fields of culture, science, education and sports, translation and exchange of books, periodicals and other educational, scientific, technical, cultural and sports publications, documents and films, and as far as possible, exchange of archaeological specimens.

#### ARTICLE 3

Each Contracting Party shall try, in so far as may be possible, to provide the other Party on the latter's request teachers and other teaching personnel that its country may need.

The methods of recruitment, administration and remuneration of such personnel shall be settled on the basis of a prior special arrangement between the Governments of the Contracting Parties.

#### ARTICLE 4

Each Contracting Party shall endeavour to provide facilities and scholarships to students and scientific personnel of the other country seeking to study in its institutions of higher education and research laboratories.

#### ARTICLE 5

Each Contracting Party undertakes to examine the conditions under which the equivalence of diplomas, certificates and university degrees awarded in the two countries can be mutually recognised.

ARTICLE 6

Each Contracting Party shall endeavour to present different facets of the life and culture of the other Party through the medium of radio, television and press. With this end in view, the two Parties shall exchange suitable materials and programmes.

ARTICLE 7

The Contracting Parties shall facilitate and promote:

- a) exchange of artistes, and dance and music ensembles;
- b) exchange of art and other exhibitions;
- c) exchange of films, documentaries, radio and television programme recordings and recordings on discs and tapes; and
- d) exchange of experts in the field of cinematography and participation in each other's International Film Festivals.

ARTICLE 8

The Contracting Parties shall encourage visits of sports teams between the two countries and shall facilitate, subject to the national laws and regulations in force, their stay and movements in their respective territories.

ARTICLE 9

Each Contracting Party shall exchange with the other material concerning the country of the other Party, which is contained in the text-books of history and geography, prescribed in its educational institutions. Whenever any incorrect information regarding the other country is discovered by a Contracting Party, it shall be rectified by that Party if the publication belongs to Government or a Government controlled body.



ARTICLE 10

Each Contracting Party shall welcome the establishment in its territory of cultural institutes or friendship associations devoted to educational and cultural pursuits by the other Party, or the Parties jointly, in accordance with its laws, regulations and general policy in this regard.

It is understood by both Parties that a prior clearance of the Government concerned would be obtained before any institution is established in pursuance of this Agreement.

ARTICLE 11

For the fulfilment of the objectives of the present Agreement, a Joint Committee shall be established in due course, consisting of an equal number of representatives of both the Governments, which shall meet as and when the need arises and at the request of either of the Contracting Parties, alternately in New Delhi and Kigali.

The Joint Committee will be responsible for:

- a) keeping under periodical review the working of the Agreement in the two countries;
- b) advising the Government concerned on the detailed manner of carrying out the Agreement;
- c) formulating educational, scientific and cultural exchange programmes and reviewing their progress;
- d) recommending to the Party concerned any items of interest to either Party in the fields within the scope of the Agreement; and
- e) generally advising the Government concerned as to the manner in which the working of the Agreement may be improved.

ARTICLE 12

The present Agreement shall come into force on the date of the exchange of the Instruments of its Ratification. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter unless one of the Contracting Parties gives six months prior notice in writing to terminate it.

Done at *Kigali* on *13 Asadha* 1897 (Saka)  
corresponding to *July, 4* 1975 (A.D.) in six  
originals, two each in Hindi, French and English  
languages, all texts being equally authentic except in  
case of doubt when English text shall prevail.

*J. K. Singh*

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDIA



FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF RWANDA